रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1993/आषाढ़ 19, 1915
No. 235] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1993/ASADHA 19, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1993

सा. का. नि. 503(अ)—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पासपोर्ट नियम 1980 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1993 कहा जाएगा ।

(2) ये 10 जुलाई, 1993 को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची iv की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

अनुसूची IV

(नियम 8 देखें)

(पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदनों के संबंध में देय शुल्कों की अनुसूची)

क्रम सं.	आवेदन का ब्यौरा	शुल्क की रकम	
		भारत में.	विदेश में.
1	2	3	4
	नए पासपोर्ट :—		
1.	अधिकतम दस वर्ष की वैधता अवधि वाला साधारण पासपोर्ट (यदि प्रारम्भिक वैधता अवधि कम है तो दस वर्ष तक नवीकृत करवाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जाएगा)	300 रु.	750 रु.
2.	अधिकतम तीन वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि वाला भारत-बंगलादेश पासपोर्ट (यदि वैधता अवधि कम है तो तीन वर्ष तक नवीकृत करवाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा)	200 रु.	500 रु.
3.	अधिकतम चार वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि वाला भारत-श्रीलंका पासपोर्ट (यदि प्रारम्भिक अवधि कम है तो चार वर्ष तक नवीकृत करवाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा)	200 रु.	500 रु.
	विशेष यात्रा दस्तावेज—		
4.	आपातकाल प्रमाणपत्र	—	100 रु.
5.	छह वर्ष की अधिकतम प्रारम्भिक वैधता अवधि वाला पहचान प्रमाणपत्र	100 रु.	250 रु.
6.	नियम 13 के परन्तुक के अधीन किसी देश के लिए एक वर्ष तक की प्रारम्भिक वैधता अवधि वाला अतिरिक्त पासपोर्ट (दस वर्ष तक नवीकृत करवाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा)	300 रु.	750 रु.
	यात्रा दस्तावेजों का नवीकरण—		
7.	पांच वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि वाले साधारण पासपोर्ट का दस वर्ष की अधिकतम वैधता अवधि के लिए नवीकरण (यदि वैधता अवधि पांच वर्ष से कम हो तो भी नवीकरण शुल्क एक बार ही एक मुश्त लिया जाएगा जो पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी के विवेक अथवा सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त हिदायतों पर निर्भर करेगा)	200 रु.	500 रु.
8.	तीन साल की प्रारम्भिक वैधता अवधि के बाद अधिकतम तीन साल की वैधता अवधि वाले भारत-बंगलादेश पासपोर्ट का नवीकरण (यदि वैधता अवधि तीन वर्ष से कम हो तो भी नवीकरण शुल्क एक बार ही एकमुश्त लिया जाएगा जो पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी के विवेक अथवा सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त हिदायतों पर निर्भर करेगा)	100 रु.	200 रु.
9.	चार वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि के बाद चार वर्ष की अधिकतम वैधता अवधि वाले भारत श्रीलंका पासपोर्ट का नवीकरण (यदि वैधता अवधि चार वर्ष से कम हो तो भी नवीकरण शुल्क एक बार ही एकमुश्त लिया जाएगा जो पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों से प्राप्त हिदायतों पर निर्भर करेगा)	100 रु.	250 रु.

1	2	3	4
10.	आपातकाल प्रमाणपत्र का नवीकरण (एक बार में तीन-तीन महीनों के लिए दो नवीकरण)		200 रु. प्रति नवीकरण
11.	पहचान प्रमाणपत्र का नवीकरण (दो वर्षों तक प्रतिवर्ष अथवा उसकी आंशिक अवधि)	50 रु.	125 रु.
11.	(क) पांच वर्ष के पश्चात अतिरिक्त पासपोर्ट का नवीकरण (नवीकरण शुल्क केवल एक बार में एकमुश्त लिया जाएगा)	200 रु.	500 रु.
विविध सेवाएं—			
12.	साधारण पासपोर्ट पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या अन्य विविध सेवाएं (जो इस अनुसूची प्रविष्टि सं. 14 में उल्लिखित विविध सेवा नहीं है)	100 रु.	250 रु.
13.	मौजूद साधारण पासपोर्ट के सभी पृष्ठों का उपयोग हो जाने के बाद पूरक पृष्ठ जोड़ना ।	100 रु.	250 रु.
14.	कोई विविध सेवा जिसके लिए नई पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने की आवश्यकता हो।	300 रु.	750 रु.
15.	आपातकाल प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या विविध सेवाएं ।	—	200 रु.
16.	पहचान प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त पृष्ठांकन या विविध सेवाएं।	100 रु.	250 रु.
17.	भारत-बंगलादेश पासपोर्ट पर विविध सेवाएं ।	100 रु.	250 रु. (बंगलादेश में)
18.	मौजूदा भारत-बंगलादेश पासपोर्ट के सभी पृष्ठों का उपयोग कर लिए जाने के बाद अतिरिक्त पृष्ठ जारी करना ।	100 रु.	250 रु. (श्रीलंका में)
19.	भारत-श्रीलंका पासपोर्ट पर विविध सेवाएं ।	100 रु.	250 रु.
20.	मौजूदा भारत-श्रीलंका पासपोर्ट के सभी पृष्ठों का प्रयोग कर लिए जाने के बाद अतिरिक्त पृष्ठ जारी करना।	100 रु.	250 रु.
21.	गुम और क्षतिग्रस्त दस्तावेजों के एवज में ।		
डुप्लीकेट पासपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज			
21.	साधारण पासपोर्ट के एवज में इस आधार पर डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना कि वह खो गया, चुरा लिया गया, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है अथवा ऐसा ही कोई अन्य कारण ।	2500 रु.	6250 रु.
22.	सामान्य वैधता अवधि के लिए डुप्लीकेट पासपोर्ट का नवीकरण ।	200 रु.	500 रु.
23.	आपातकाल प्रमाणपत्र की एवज में इस आधार पर डुप्लीकेट आपातकाल प्रमाण पत्र जारी करना कि वह खो गया है, चुरा लिया गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है अथवा ऐसा ही कोई अन्य कारण।	—	500 रु.
24.	पहचान प्रमाणपत्र की एवज मे इस आधार पर डुप्लीकेट पहचान प्रमाणपत्र जारी करना कि वह खो गया है, चुरा लिया गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया अथवा ऐसा ही कोई अन्य कारण	300 रु.	750 रु.

25.	भारत-बंगलादेश पासपोर्ट की एवज में इस आधार पर डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना कि वह खो गया है या नष्ट हो गया है, अथवा ऐसा ही कोई अन्य कारण।	500 रु.	1250 रु. (बंगलादेश में)
26.	सामान्य वैधता अवधि के लिए डुप्लीकेट भारत-बंगलादेश पासपोर्ट का नवीकरण	200 रु.	500 रु.
27.	भारत-श्रीलंका पासपोर्ट की एवज में इस आधार पर डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना कि वह खो गया है, चुरा लिया गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या नष्ट हो गया है।	500 रु.	1250 रु. (श्रीलंका में)
28.	सामान्य वैधता अवधि के लिए डुप्लीकेट भारत-श्रीलंका पासपोर्ट का नवीकरण	200 रु.	500 रु.

[फाईल नं. VI /401/39/93]

(एल.के. पोनप्पा), संयुक्त सचिव

टिप्पणी :

(1) अधिसूचना सं. सा.का.नि. (अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 (1980 बाह्य) भाग-2, खंड 3, उपखंड(i) में प्रकाशित मुख्य नियम

(2) बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित :

(1) अधिसूचना सं.सा.का.नि.	50 (अ) दिनांक 7 फरवरी, 1981
(2) अधिसूचना सं. सा.का.नि.	469(अ) दिनांक 24 जून, 1982
(3) अधिसूचना सं.सा.का.नि.	325 (अ) दिनांक 12 अप्रैल, 1983
(4) अधिसूचना सं.सा.का.नि.	494 (अ) दिनांक 16 जून, 1983
(5) अधिसूचना सं.सा.का.नि.	345 (अ) दिनांक 29 मार्च, 1985
(6) अधिसूचना सं.सा.का.नि.	860 (अ) दिनांक 1 नवम्बर, 1985
(7) अधिसूचना सं. सा.का.नि.	1155 (अ) दिनांक 21 नवम्बर, 1988
(8) अधिसूचना सं.सा.का.नि.	100 (अ) दिनांक 4 मार्च, 1991

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 1993

G. S. R. 503(E).—In exercise of the powers conferred by section 24, read with section 5 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby make the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:

(1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force with effect from 10 July, 1993

2. For Schedule IV to the Passport Rules, 1980, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE IV

(See rule 8)

SCHEDULE OF FEES PAYABLE IN RESPECT OF APPLICATIONS FOR PASSPORT AND TRAVEL DOCUMENTS

Sl. No.	Particulars of application	Scale of fees	
		INDIA	ABROAD
1	2	3	4
	NEW PASSPORTS		
1.	Ordinary passport with a maximum validity of ten years (no extra fee will be charged for renewals up to ten years if initial validity is less)	Rs. 300	Rs. 750
2.	India-Bangladesh Passport with a maximum initial validity of three years (no extra fee will be charged for renewals upto three years if the initial validity is less)	Rs. 200	Rs. 500
3.	India-Sri Lanka Passport with a maximum initial validity of four years (no extra fees will be charged for renewals upto four years life if initial validity is less).	Rs. 200	Rs. 500
	SPECIAL TRAVEL DOCUMENTS—		
4.	Emergency Certificate	—	Rs. 100
5.	Certificate of identity with a maximum initial validity of six years.	Rs. 100	Rs. 250
6.	Additional passport for any country under the proviso to rule 13 upto initial validity of one year (no extra fee will be charged for renewals upto ten years).	Rs. 300	Rs. 750
	RENEWAL OF TRAVEL DOCUMENTS—		
7.	Renewal of ordinary passport with an initial validity of five years for a maximum validity of ten years (the renewal fee will be charged in one lump sum once only even though period of validity may be less than five years depending upon discretion of Passport Issuing Authority or according to instructions from Government authorities).	Rs. 200	Rs. 500
8.	Renewal of India-Bangladesh Passport with a maximum validity of three years after initial validity of three years (the renewal fee will be charged in one lump sum once only, even though period of validity may be less than three years, depending upon discretion of Passport Issuing Authority or according to instructions from Government authorities).	Rs. 100	Rs. 250
9.	Renewal of India-Sri Lanka passport with a maximum validity of four years after initial validity of four years (the renewal fee will be charged in one lump sum once only, even though period of validity may be less than four years depending upon discretion of Passport Issuing Authority or according to instructions from Government authorities).	Rs. 100	Rs. 250

1	2	3	4
10.	Renewal of Emergency Certificate (two renewals for three months at a time).		Rs. 200 per renewal
11.	Renewal of Certificate of Identity (per years or part thereof upto two years)	Rs. 50	Rs. 125
11(a)	Renewal of additional passport after five years (the renewal fee will be charged in one lump sum only).	Rs. 200	Rs. 500
	MISCELLANEOUS SERVICES—		
12.	Additional endorsement or other miscellaneous service on ordinary passport (not being a miscellaneous service referred to in entry fourteen of this Schedule).	Rs. 100	Rs. 250
13.	Adding supplementary pages when all the pages in an existing ordinary passport are used up.	Rs. 100	Rs. 250
14.	Any miscellaneous service requiring issue of a fresh passport booklet.	Rs. 300	Rs. 750
15.	Additional endorsement or miscellaneous service on an Emergency Certificate.	—	Rs. 200
16.	Additional endorsement or miscellaneous service on a Certificate of Identity.	Rs. 100	Rs. 250
17.	Miscellaneous service on an India-Bangladesh Passport.	Rs. 100	Rs. 250 (in Bangladesh)
18.	Issue of additional pages when all the pages in an existing India-Bangladesh passport are used up.	Rs. 100	Rs. 250 (in Sri Lanka
19.	Miscellaneous service on an India-Sri Lanka Passport.	Rs. 100	Rs. 250
20.	Issue of additional pages when all pages in an existing India-Sri Lanka Passport are used up.	Rs. 100	Rs. 250
	DUPLICATE PASSPORTS AND OTHER DOCUMENTS IN LIEU OF LOST OR DAMAGED DOCUMENTS—		
21.	Issue of duplicate passport in liue of the ordinary passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged, destroyed or for any other such reasons.	Rs. 2500	Rs. 6250
22.	Renewal of duplicate passport for normal validity.	Rs. 200	Rs. 500
23.	Issue of duplicate Emergency Certificate in lieu of the Emergency Certificate on the ground that it has been lost, damaged or destroyed, or for any other such reasons.	—	Rs. 500
24.	Issue of duplicate Certificate of Identity in lieu of the Certificate of Identity on the ground that it has been lost, stolen, damaged or destroyed, or for any other such reason.	Rs. 300	Rs. 750
25.	Issue of duplicate passport in lieu of the India-Bangladesh Passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged or destroyed or for any other such reason.	Rs. 500	Rs. 1250 (in Bangladesh)
26.	Renewal of duplicate India-Bangladesh Passport for normal validity.	Rs. 200	Rs. 500
27.	Issue of duplicate passport in lieu of the India-Sri Lanka Passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged or destroyed.	Rs. 500	Rs. 1250 (In Sri Lanka)
28.	Renewal of duplicate India-Sri Lanka Passport for normal validity.	Rs. 200	Rs. 500

[File No. VI/401/39/93]

L.K. PONAPPA, Joint Secy.

Note:

(1) Principal rules published vide Notification No. GSR (E) dated December 11, 1980, (1980 external) Part 2, Section 3, sub-section (i). Subsequently amended by:-

1. Notification No. GSR 50 (E) dated February 7, 1981.
2. Notification No. GSR 469 (E) dated June 24, 1982.
3. Notification No. GSR 325 (E) dated April 12, 1983.
4. Notification No. GSR 494 (E) dated June 16, 1983.
5. Notification No. GSR 345 (E) dated March 29, 1985.
6. Notification No. GSR 860 (E) dated November 1, 1985.
7. Notification No. GSR 1155 (E) dated November 21, 1988.
8. Notification No. GSR 100 (E) dated March 4, 1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993